



(भारत सरकार) GOVERNMENT OF INDIA
(रेल मंत्रालय) MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड) RAILWAY BOARD

RBA No. 077/2020
GST Circular No. 043/2020

F.No. 2018/AC-II/1/52

30th September, 2020


General Managers,
All Zonal Railway/Production Units

Sub: Submission of GST Annual Return for FY 2018-19

Ref: Railway Board's letter dated 4th September, 2020 (RBA No. 72/2020)

Railway Board vide letter *ibid.* had *inter-alia* highlighted the hitherto notified date of 30th September, 2020 as the date for filing of annual return under GST under FORM GSTR-9 for FY 2018-19. However, Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC) vide Notification No. 69/2020-Central Tax dated 30th September 2020 has extended the aforementioned date and thus notified **31st October 2020** as the revised date by which annual return for FY 2018-19 can be filed.

All the Principal Railways are requested to ensure GST Compliances in this regard, in consultation with GST Consultants engaged by them. PDF version of the GSTR-9 filed by the Principal Railways may be sent through email at v.prakash@nic.in.


(V.Prakash)
Joint Director/Accounts
Railway Board

Copy to:-

1. All PFAs, Zonal Railways and Production Units,
2. EDs, ED level empowered Committee, Railway Board
3. All Directors, Director level GST Cell, Railway Board
4. MD/IRFC
5. GM/Finance/GSTM, GM/AIMS, CRIS

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

आरबीए सं. 077/2020
जीएसटी परिपत्र सं. 043/2020

फाइल सं. 2018/एसी-11/1/52

30 सितम्बर, 2020

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें/उत्पादन इकाइयां.

विषय: वित्त वर्ष 2018-19 के लिए जीएसटी वार्षिक रिटर्न जमा कराना ।

संदर्भ: रेलवे बोर्ड का दिनांक 4 सितम्बर, 2020 का पत्र (आरबीए सं.72/2020)

रेलवे बोर्ड के उक्त पत्र के तहत वित्त वर्ष 2018-19 के लिए फॉर्म जीएसटीआर-9 के अंतर्गत जीएसटी के अधीन वार्षिक रिटर्न फाइल करने की तारीख के रूप में 30 सितम्बर, 2020 की अधिसूचित तारीख को अब तक को अन्य बातों के साथ-साथ चिह्नांकित किया गया था। बहरहाल, दिनांक 30 सितम्बर, 2020 की अधिसूचना सं. 69/2020- केंद्रीय कर के तहत केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) द्वारा पूर्वोक्त तारीख को बढ़ा दिया गया है और इस प्रकार 31 अक्टूबर 2020 को अधिसूचित किया गया है जिसके द्वारा वित्त वर्ष 2018-19 के लिए वार्षिक वार्षिक रिटर्न फाइल की जा सकती है।

सभी प्रधान रेलों से अनुरोध है कि जीएसटी स्वीकृति के संबंध में, वे उनके द्वारा नियुक्त किए गए जीएसटी परामर्शदाताओं से इस संबंध में परामर्श करके जीएसटी अनुपालन सुनिश्चित करें। प्रधान रेलों द्वारा फाइल किए गए जीएसटीआर-9 का पीडीएफ वर्जन ईमेल v.prakash@nic.in के माध्यम से भेजा जाए।

६.

(वी. प्रकाश)
संयुक्त निदेशक/लेखा
रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि:

1. सभी प्रधान वित्त सलाहकार, क्षेत्रीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां,
2. कार्यपालक निदेशक, कार्यपालक निदेशक स्तर की सशक्त समिति, रेलवे बोर्ड
3. सभी निदेशक, निदेशक स्तर का जीएसटी कक्ष, रेलवे बोर्ड
4. प्रबंध निदेशक/आईआरएफसी
5. महाप्रबंधक/वित्त/जीएसटीएम/एआईएमएस, क्रिस